



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी श्यौराज को हुई 02 वर्ष के कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त श्यौराज पुत्र तेजसिंह निवासी ग्राम भगौट थाना चांदीनगर जनपद बागपत के विरुद्ध थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 29/2002 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 02.07.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त श्यौराज को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक -02.07.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 98/24 धारा 363/376(3)/420/468/471
भादवि व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 98/24 धारा 363/376(3)/420/468/471 भादवि व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 11.3.24 को बरामद किया जा चुका है तथा धारा 376(3)/420/468/471 भादवि व 3/4(2) पोक्सो एक्ट की वद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जावेद पुत्र फैजुल निवासी ग्राम ओसिक्का थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक क्राईम श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 621 रवि कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-एचजी 279 श्रीपाल थाना बडौत जनपद बागपत ।

